डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट तहसील टोडाभीम जरिये शाखा प्रबन्धक।

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 12/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू तहसीलदार टोडाभीम .हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

निज.....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.09.2019 को जारी की गई।

उपजिला कलेक्टर ... (करौली) राज०

दस्तखत 25/9/19 ....

ओहदा............................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 12/19

तारीख रजू:– 21.01.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट तहसील टोडाभीम जरिये शाखा प्रबन्धक।

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति :–1. रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांकः– 25.9.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 885/0.37, 886/2787/0.10, 1631/0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 स्थित ग्राम मूंडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 मे खातेदारी नरेश पुत्र विशम्भर जाति जाटव के नाम दर्ज रिकार्ड है। नरेश ने बैक ऑफ बडौदा बालघाट से के0सी0.सी0 ऋण लेने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2012 को पेश किया था तथा उसके साथ खातेदारी की भूमि के दस्तावेजात मे तहसीलदार प्रमाण पत्र, सिचाई प्रमाण पत्र व ट्रेस आदि प्रस्तुत किये तथा दिनांक 26.02.2012 को एक लाख रूपये नरेश को के0सी0सी0 ऋण स्वीकृत किये गये है तथा मांग वचनपत्र, कृषि वित्त के संमिश्र दृष्टिबंधक करार पत्र आदि दस्तावेजात बैक के हक मे निष्पादित किये है बैक हक मे 6(1) के अधीन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये है तथा यह 6 (1) के अधीन घोषणा पत्र दिनांक 14.9.2012 को उपं पंजीयक कार्यालय टोडाभीम के यहा विधिवत रजिस्टर्ड हुआ है तथा पटवारी हल्का मूंडिया ने बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट के नामांतकरण संख्या 206 पर रहन मुर्तहिन दर्ज किया है। जिसका इन्द्राज 6(1) के अधीन घोषणा पत्र मे दर्ज है। लेकिन उस समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे बैक ऑफ बडौदा बालघाट के हक मे रहन मुर्तहिन का इन्द्राज नही हुआ था। उक्त नरेश जाटव ने बाद मे एस.बी.बी.जे. मेहन्दीपुर बालाजी से उक्त भूमि का पुनः 6(1) रहन का इन्द्राज करा लिया तथा हाल रिकार्ड मे एस.बी.बी.जे. शाखा मेहन्दीपुर बालाजी का रहन मुर्तहीन का इन्द्राज दर्ज है। बी.ओ.बी. शाखा बालघाट द्वारा बैक के हक मे 6(1) के दस्तावेजो पर रहन का इन्द्राज दर्ज करने के संबध मे एक पत्र उपतहसील बालघाट मे दिनांक 13.11.2018 को दिया था। इसके उपरान्त नायब तहसीलदार बालघाट ने वादी बैक के नाम रहन का इन्द्राज नही कर इस ओब्जेक्शन के साथ वादी बैक को सूचित किया कि इस भूमि पर एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर रहन रिकार्ड दर्ज है अतः उक्त भूमि को पुनः सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रहन दर्ज किया जाना संभव नही है। वादी बैक के हक मे रहन मुर्तहीन का इन्द्राज जमाबन्दी मे क्लेरिकल मिस्टेक से दर्ज नही हुआ है। रहन मुर्तहीन का दर्ज होना आवश्यक है, इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती पेश कर निवेदन है कि भूमि आराजी ख0न0 885/0.37, 886/2787/0.10, 1631/0.80 कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 स्थित ग्राम मूंडिया वादी बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट के हक मे रहन मुर्तहीन दर्ज करने का आदेश प्रदान कर डिक्री के आदेश फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जबाब प्रस्तुत किया कि ख0न0 885/0.37, 886/2787/0.10, 1631/0.80 कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 स्थित ग्राम मूंडिया की भूमि पर वर्तमान मे खातेदार नरेश पुत्र विशम्भर जाति जाटव निवासी मूंडिया राहिन एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी मुर्तहीन दर्ज है। एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी का रहननामा उप पंजीयक

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

टोडाभीम को दिनांक 21.4.2011 को पंजीबद्व हुआ है। यह भूमि ग्राम मूंडिया के नामांतकरण संख्या 573 दिनांक 16.1.2014 द्वारा एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी के नाम नोट जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 211 पर अंकित है। बी.ओ.बी. शाखा बालघाट के हक मे रहननामा दिनांक 14.9.2012 को पंजीबद्व किया गया है। वादी बी.ओ.बी शाखा बालघाट को ऋण स्वीकृत करते समय रहनशुदा नकल जमाबन्दी तत्तसमय प्राप्त करनी चाहिये थी। चूंकि अब अन्य बैक के हक मे रहन भूमि पर पुनः वादी बी.ओ.बी. शाखा बालघाट का रहन दर्ज किया जाना संभव नही है। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादीवकील ने जबाब की नकल प्राप्त कर सीधे ही बहस करने का कथन किया। वादी वकील ने अपनी बहस मे वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी बी.ओ.बी. शाखा बालघाट के नाम रहन दर्ज कराने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम मूंडिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 199 मे वर्णित आराजी ख0न0 885/0.37, 886/2787/0.10, 1631/0.80 कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 मे नरेश पुत्र विशम्भर जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा मेहन्दीपुर बालाजी मुर्तहीन (नामांतकरण सख्या 573) दर्ज रिकार्ड है। सलग्न दस्तावेजात घारा 6(1) के अधीन घोषणा शाखा एस.बी.बी.जे मेहन्दीपुर बालाजी का उपं पजीयक कार्यालय टोडाभीम मे दिनांक 21.4.2011 को कम.स. 2011000520 पर पंजीबद्व किया गया है। जिस पर तत्कालीन पटवारी हल्का मूंडिया द्वारा दिनांक 21.4.2011 को नोट नामांतकरण स0 381 पर बैक हक मे रहन दर्ज हुआ अंकित किया है जबकि सलग्न जमाबन्दी अनुसार एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी के मुर्तहीन नामांतकरण संख्या 573 से होना प्रमाणित है। जिसका तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अपने जबाब मे भी दिनांक 16.01.2014 को एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी मे होने का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि दिनांक 21.4.2011 को पंजीवद्व धारा 6(1) पर पटवारी हल्का द्वारा गलत नामांतकरण का उल्लेख किया है। तथा तत्समय एस.बी.बी.जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी के पक्ष मे नामांतकरण नही भरा गया तत्पश्चात बी.ओ.बी. बालघाट के द्वारा प्रस्तुत धारा 6(1) के अधीन घोषणा उपं पजीयक कार्यालय टोडाभीम मे दिनांक 14.09.2012 को पंजीबद्व होने पर पटवारी हल्का मूंडिया द्वारा नामांतकरण संख्या 206 पर रहन का अंकन दिनांक 20.09.2012 को किया गया है। उक्त नामांतकरण भी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बी.ओ.बी. बालघाट के हक मे नही भरा गया। अतः संबधित तत्कालीन पटवारी की लापरवाही के कारण वादग्रस्त भूमि पर दो अलग–अलग बैक शाखाओ द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। इस बावत तहसीलदार टोडाभीम को निर्देशित किया जाता है कि तत्समय पटवारी हल्का मूंडिया पर पदस्थापित पटवारीयान द्वारा पंजीबद्व 6(1) पर गलत नामांतकरण का नोट अंकित कर दस्तावेजात के साथ फर्जकारी की है। उनके विरूद्व जॉच कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम स्तर को भिजवाये।

चूंकि ग्राम मूंडिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 199 मे वर्णित आराजी ख0न0 885/0.37, 886/2787/0.10, 1631/0.80 कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 मे नरेश पुत्र विशम्भर जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा मेहन्दीपुर बालाजी मुर्तहीन (नामांतकरण सख्या 573) दर्ज रिकार्ड है। वादी बैक द्वारा एस.बी.बी.जे शाखा व संबधित खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया गया है। अतः पूर्व से ही रहन मुर्तहीन दर्ज भूमि पर पुनः अन्य बैक का रहन मुर्तहीन का अंकन कराया जाना उचित नही पाता हूँ।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

25/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner